बिहार सरकार।

मानव संसाधन विकास विभाग,

अधिसूचना

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 (d) एवं 2 (e) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अलाभकारी समूह के बच्चों एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को अधिसूचना संख्या 402 दिनांक–25.03.2011 के द्वारा परिभाषित किया गया है। इस अधिसूचना को विलोपित करते हुए अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग को पुनः निम्नरूपेण परिभाषित किया जाता है।

(क) अलाभकारी समूह के बच्चें– अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता–पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/=. (एक लाख) रूपये तक की हो।

(ख) कमजोर वर्ग के बच्चे– कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियों/समुदायों के बच्चे जिनके माता–पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/= (दो लाख) रूपये से कम हो।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिसूचना संख्या 402 दिनांक–25.03.2011 के तहत इस अधिसूचना के निर्गत होने के पूर्व कृत कार्रवाई इस अधिसूचना से निष्प्रभावी मानी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार, पटना।

Received / visibly 21/06/2011

ज्ञापांक– 8/a3–31/10 – 692 दिनांक– 21-6-11-/

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक एवं श्री गौरव कान्त, आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/6/11

संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार, पटना।

21/6/11